सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026
Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 24, 2026

संख्या एफ.15(24)पंरावि/विधि/आरक्षण/2026/42:-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 के अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों व जिला परिषद के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा प्रधानों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए तथा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा सरपंचों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15 व 16 तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5, 6, 7, 8 व 9 की शक्तियां संबंधित जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यायोजित करती है ।

आज्ञा से,
डॉ. जोगा राम,
शासन सचिव एवं आयुक्त ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।